<u>बैंक प्रतिभूति-। (पीबीजी-।) के निष्पादन के लिए फार्मेट</u>

.... पर एफएम प्रसारण सेवा

भारत के राष्ट्रपति जो अवर सचिव (एफएम), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (संबंधित मंत्रालय) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए दिनांक 21.9.2005 .... को एनआईटी के माध्यम अधिसूचित किए गए निविदा दस्तावेज में निर्धारित की गई निबंधन और शर्तों जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि क्यूआईपी इस मंत्रालय को वित्तीय बोली की 50 प्रतिशत राशि के बराबर राशि की प्रतिभूति जमा के रूप में किसी अनुसूचित बैंक से प्रतिभूति उक्त निविदा दस्तावेज की निबंधन और शर्तों के उचित अनुपालन और निष्पादन के लिए प्रस्तुत करेगा, के आधार पर .... में एफएम रेडियो प्रसारण सेवा को स्थापित करने, बनाए रखने और प्रचालित करने के लिए वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के संबंध में .... (नाम और पता) को "योग्य इच्छुक पक्षकार" (इसमें इसके बाद क्यूआईपी कहा गया है) घोषित किया गया है।

जबकि हम .... बैंक (बैंक के नाम, पते और अन्य ब्यौरे का उल्लेख किया जाए), बैंकिंग कम्पनी (उपक्रम का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसमें इसके बाद "संबंधित बैंक" के रूप में उल्लेख किया गया है) के तहत गठित किया गया कारपोरेट निकाय जिसका मुख्यालय .... में और अन्य .... पर शाखा कार्यालय है, एतदद्वारा मंत्रालय को स्पष्ट रूप से और बिना

शर्त यह आश्वासन देते हैं कि योग्य इच्छुक पक्षकार मंत्रालय की संतुष्टि के लिए उक्त निविदा दस्तावेज की सभी निबंधन और शर्तों का अनुपालन करेगा।

इसलिए अब हम संबंधित बैंक एतदद्वारा यह पुष्टि करते हैं कि हमने यह प्रतिभूति दी है और हम योग्य इच्छुक पक्षकार की ओर से आपको प्रदान किए जाने वाले कुल .... (प्रतिभूति की राशि) .... (शब्दों में) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और हम आपको आपकी प्रथम लिखित मांग पर बिना किसी नुकता-चीनी, आपत्ति अथवा तर्क के उपर्युक्त उल्लिखित .... रूपए (प्रतिभूति की राशि) की सीमा के भीतर निर्धारित कोई राशि अथवा राशियां तत्काल और इसमें निर्धारित की गई राशि के लिए आपकी मांग के संबंध में आपकी ओर से बिना कोई साक्ष्य दिए अथवा आधारों को बिना दर्शाए अथवा कारणों के संबंध में बिना पूछे भुगतान करने का वचन देते हैं।

हम संबंधित बैंक एतदद्वारा इस बात पर सहमत है कि मंत्रालय का योग्य इच्छुक पक्षकार के संबंध में यह निर्णय कि क्या योग्य इच्छुक पक्षकार उपर्युक्त उल्लिखित निविदा दस्तावेज की निबंधन और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों और कर्त्तव्यों का निर्वाह करने अथवा इन्हें निष्पादित करने में असफल हो गया है अथवा इनमें लापरवाही कर रहा है अथवा नहीं तथा इसके तहत बैंक द्वारा मंत्रालय को देय राशि बैंक पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगी। मंत्रालय और उक्त आशय-पत्र धारी/अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मध्य किसी विवाद का इस प्रतिभूति के तहत हमारे कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हम एतद्द्वारा ऋण की मांग हमें प्रस्तुत करने से पहले योग्य इच्छुक पक्षकार से आपको उक्त ऋण की मांग करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं न कि केवल योग्य इच्छुक पक्षकार की प्रतिभूति।

इसके अतिरिक्त हम इस बात से भी सहमत हैं कि इस निविदा की शर्तों अथवा इनके निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में किसी परिवर्तन अथवा वृद्धि अथवा किसी अन्य संशोधन से हम इस प्रतिभूति के तहत अपनी किसी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे और हम एतद्द्वारा इस प्रकार के किसी परिवर्तन, वृद्धि अथवा संशोधन इत्यादि के बारे में सूचना देने से छूट प्रदान करते हैं।

हम .... बैंक एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि हम निम्नलिखित से सहमत हैं :

(क) ***इसमें दिया गया आश्वासन वित्तीय बोली खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने तक पूर्णतः लागू तथा प्रभावी रहेगा।*** यह आश्वासन इस वित्तीय बोली के द्वारा और तहत मंत्रालय की सभी देय राशियों का पूर्णतः भुगतान कि जाने तक तथा इसके दावों का निपटारा किए जाने तक अथवा इन्हें पूरा किए जाने तक अथवा मंत्रालय द्वारा यह सूचित किए जाने तक कि उक्त इच्छुक पक्षकार ने उक्त निविदा की सभी निबंधन और शर्तों को पूरी तरह और उपयुक्त रूप से पूरा किया है और तदनुसार इस आश्वासन को पूरा कर दिया गया है, तक जारी रहेगा।

(ख) मंत्रालय को इसके तहत हमारी सहमति के बिना और हमारे कर्त्तव्यों को किसी प्रकार से न निभाते हुए उक्त निविदा की किसी निबंधन और शर्त को परिवर्तित करने तथा समय-समय पर उक्त योग्य इच्छुक पक्षकार के किसी कार्य के निष्पादन का समय बढ़ाने अथवा उक्त योग्य इच्छुक पक्षकार के विरुद्ध मंत्रालय द्वारा प्रयोग की जाने योग्य किसी शक्ति को किसी समय तक अथवा समय-समय पर निलंबित करने और उक्त निविदा से संबंधित किसी निबंधन और शर्त को निलम्बित करने अथवा लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी तथा हम उक्त योग्य इच्छुक पक्षकार को प्रदान की जा रही किसी घट-बढ़ अथवा विस्तार अथवा स्थगन अधिनियम अथवा योग्य इच्छुक पक्षकार की ओर से किसी चूक अथवा मंत्रालय द्वारा उक्त योग्य इच्छुक पक्षकार को प्रदान की गई किसी रियायत अथवा उसे ऐसा कोई मामला अथवा वस्तु प्रदान करने जो प्रतिभूति से संबंधित कानून के तहत अन्यथा हमें इस प्रकार मुक्त करने के संबंध में इस प्रावधान को प्रभावित करेगी, को छोड़कर अन्य कारणों से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे।

(ग) ऐसा कोई दावा जो योग्य इच्छुक पक्षकार के विरुद्ध हमारे पास है वह इसके तहत पूर्व भुगतान तथा हमारे सभी कर्त्तव्यों के पूर्णत: निष्पादन की शर्त के आधार पर इसके अधीन होगा और हम मंत्रालय की लिखित पूर्व-अनुमति के बिना इस प्रकार के किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में किसी विधिक अधिकार अथवा उपचार का इतनी लम्बी अवधि तक प्रयोग नहीं करेंगे कि इसके तहत हमारे कर्तव्य अधूरे और शेष रह जाएं।

(घ) यह प्रतिभूति अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे कर्तव्य हमारे द्वारा अथवा योग्य इच्छुक पक्षकार द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

(ङ.) बैंक मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना इस प्रतिभूति को बीच में ही रद्द नहीं करेगा।

अपने नियमों के तहत बैंक इस प्रतिभूति को शक्ति प्रदान करता है और श्री .... जिन्होंने बैंक की ओर से हस्ताक्षर किए हैं इस प्रतिभूति को निष्पादित करने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत हैं।

बैंक अथवा योग्य इच्छुक पक्षकार के नाम, नियमों अथवा पते में कोई परिवर्तन होने के कारण यह प्रतिभूति समाप्त अथवा प्रभावित नहीं होगी।

यह प्रतिभूति आज वित्तीय बोली को खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए और .... द्वारा दायित्व में कमी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से 28 दिनों तक वैध होगी।

प्रतिभूति देने वाले के हस्ताक्षर और मोहर ....

बैंक का नाम ....

पता ....

दिनांक ....

निम्नलिखित की उपस्थिति में :

1. ....

(नाम और व्यवसाय)

2. ....

(नाम और व्यवसाय)